(20)

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 12/2021

श्री बसन्तीलाल, से0नि0अ0 पुत्र श्री बींजाराम, निवासी वार्ड नं0 13, खेतडी, तहसील खेतडी, जिला

बनाम

लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम
के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील.

## आदेश

दिनांक 24.02.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी ( अपीलार्थी ) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 22.02.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 12/2021 पर दिनांक 22.02.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/167–168 दिनांक 22.01.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी ने पत्रांक पी0ए0/सू0अ0अ0( 21 ) /2020/123 दिनांक 05.02.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का प्रा0प0 इस कार्यालय मे दिनांक 22.12.2020 को प्राप्त हुआ जो कार्यालय नगर पालिका, खेतडी से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र कमांक पी0ए0 /सू0अ0अ0 ( 21 )/2020/ 546–548 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका, खेतडी को अन्तरित कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका खेतडी को पत्रांक 618 दिनांक 15.02.2021 द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया।
6. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खेतडी ने पत्रांक 404 दिनांक 24.02.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थी द्वारा नगर पालिका खेतडी मे गटर संबंधी कोई पत्रावली पालिका मे जमा नही करवाई गई थी जिसके संबंध मे श्री बंसतीलाल से0नि0 अध्यापक को पालिका के पत्र कमांक 3725 दिनांक 03.07.2013 एवं 345–46 दिनांक 03.02.2021 के द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
7. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
8. लोक सूचना अधिकारी ( उपखण्ड अधिकारी ) खेतडी के पत्रांक पी0ए0/सू0अ0अ0( 21 ) /2020/123 दिनांक 05.02.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी का प्रा0प0 उनके कार्यालय मे दिनांक 22.12.2020 को प्राप्त हुआ जो कार्यालय नगर पालिका, खेतडी से संबंधित होने के कारण इस कार्यालय के पत्र कमांक पी0ए0/सू0अ0अ0 ( 21 )/2020/546–548 दिनांक 22.12.2020 के द्वारा अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका,

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

खेतडी को अन्तरित कर दिया गया। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खेतडी ने पत्रांक 404 दिनांक 24.02.2021 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रार्थी द्वारा नगर पालिका खेतडी मे गटर संबंधी कोई पत्रावली पालिका मे जमा नही करवाई गई थी जिसके संबंध मे श्री बंसतीलाल से0नि0 अध्यापक को पालिका के पत्र कमांक 3725 दिनांक 03.07.2013 एवं 345-46 दिनांक 03.02.2021 के द्वारा सूचना भिजवाई जा चुकी है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें। जाहिर है कि प्रार्थी सूचना प्राप्ति से वंचित रहा है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, खेतडी को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने के लिए आवेदन करने पर निर्धारित समयावधि मे सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

9. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( यू0डी0खान )
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं